राजस्थान सरकार

कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर

विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर–302001 दूरभाष नं. 0141–2373904 ई–मेल–scr-rj@nic.in

क्रमांक / फा / संस्था / 1 / 1 / 12 / भूप्रआ / 2021 / 10657–10667 दिनांकः–15.7.2022

भू–प्रबन्ध अधिकारी
जयपुर, अलवर, जोधपुर,
सीकर, भरतपुर, टोंक, भीलवाड़ा,
उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर।

विषयः– पटवार भर्ती परीक्षा–2021 में अन्तिम रुप से चयनित एवं भू–प्रबन्ध विभाग आवंटित अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः–इस कार्यालय का पत्रांक 10610–10621 दिनांक 12.07.2022 एवं आपका पत्रांक..........................दिनांक....................

महादेय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि पटवार भर्ती परीक्षा–2021 में अन्तिम रुप से चयनित एवं भू–प्रबन्ध विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों को 6 माह के प्रशिक्षण हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 9120–10415 दिनांक 08.07.2022 द्वारा भू–प्रबन्ध कार्यालय (अस्थायी पटवार प्रशिक्षण शाला) का आवंटन किया गया है। विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन मुख्यालय स्तर पर किये जाने के उपरान्त दिनांक 18.07.2022 को संबंधित पटवार प्रशिक्षण शाला में कार्यग्रहण करने हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी दलवार अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र मय चैकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज आपके कार्यालय के पत्रवाहक श्री.. पद.................. के हमराह NTSP संवर्ग के .... तथा TSP संवर्ग के ....आवेदन पत्र भिजवाये जा रहे हैं।

संबंधित भू–प्रबन्ध अधिकारी चयनित आवंटित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे किः–

1. मूल आवेदन पत्र के संलग्न चैकलिस्ट के अनुसार यदि कोई दस्तावेज प्राप्त करना शेष है, तो प्राप्त करें।
2. तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के क्रम में पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र प्राप्त किया जावे।
3. शैक्षणिक प्रमाण–पत्र / दस्तावेजों की जांच मूल प्रमाण पत्रों से की जावे।

4. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, सदाचार रिपोर्ट (Police Verification Report) एवं जन्मतिथि की जांच मूल आवेदन पत्र से आवश्यक रुप से की जावे।

5. यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत है, तो उस संस्था द्वारा जारी NOC, कार्यमुक्ति आदेश/त्यागपत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावे।

6. अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के समय 1,00,000/– रुपये (एक लाख रुपये) का अनुबन्ध पत्र निर्धारित प्रपत्र में निष्पादित करा कर प्राप्त करें।

7. जिन अभ्यर्थियों ने मुख्यालय में दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाये हैं, उन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कार्यग्रहण करने से पूर्व आवश्यक रुप से किये जावें।

8. कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना मुख्यालय को अविलम्ब भिजवावें। यदि जो अभ्यर्थी दिनांक 07.08.2022 तक पटवार प्रशिक्षण शाला में उपस्थित नहीं होते है, तो उन अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावेगा। दिनांक 07.08.2022 के पश्चात अविलम्ब उनके मूल आवेदन पत्र मुख्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

9. अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज राजस्थान राज्य के बाहर के राज्यों के पाये जाने पर इनका सत्यापन संबंधित संस्था से कराया जावे तथा शैक्षणिक दस्तावेज में भिन्नता/कूटरचित पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के पक्ष में जारी नियुक्ति आदेश निरस्त कराने की कार्यवाही करावें।

संलग्नः– सूची अनुसार मूल आवेदन पत्र
मय चैकलिस्ट अनुसार दस्तावेज

(राजेन्द्र विजय)
भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान,
जयपुर